संख्या– 102 /XV-1/2011/7(81)2005

प्रेषक,

विनोद फोनिया
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 23 मार्च, 2011

विषयः पशुपालन विभाग में लागू वर्तमान सेवा शुल्को एवं लेवी मूल्यों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पशुकल्याण बोर्ड देहरादून के पत्र संख्या–1392-1395/Ukd.AWB /2010-11 दिनांक 8 अक्टूबर, 2010 एवं पत्र संख्या–1396-99/Ukd. AWB/2010-11 दिनांक 8 अक्टूबर, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 352/XV-1/2005 टी०सी० दिनांक 08 नवम्बर, 2005 के माध्यम से पशुपालन विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के वास्तविक व्यय के आधार पर पशुपालन विभाग द्वारा ली जा रही उपचार लेवी, स्वास्थ्य परीक्षण लेवी एवं पशुधन परीक्षण लेवी की दरों को आशिंक रूप से संशोधित करने की श्री राज्यपाल निम्नवत् स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र०सं०	सेवाएँ	वर्तमान दरें (₹)	संशोधित दरें (₹)
1.	**उपचार लेवी की दरें**		
क.	पशु (बड़ा)	10.00	10.00
ख.	भेड/बकरी/सूअर	5.00	5.00
ग	(1).कुत्ता/बिल्ली (शहरी क्षेत्रों हेतु)*	40.00	40.00
	(2).कुत्ता/बिल्ली (ग्रामीण क्षेत्रों हेतु)	40.00	10.00
घ.	विधिक प्रकरणाधीन केस प्रॉपर्टी पशु	10.00	निःशुल्क
2.	**शव परीक्षण लेवी की दरें**		
क.	बड़ा पशु	100.00	100.00
ख.	छोटा पशु	20.00	20.00
ग.	विधिक प्रकरणाधीन केस प्रॉपर्टी पशु	100.00	निःशुल्क
3.	**स्वास्थ्य परीक्षण लेवी की दरें**		
क.	बड़ा पशु	50.00	50.00
ख.	छोटा पशु	20.00	20.00
ग.	विधिक प्रकरणाधीन केस प्रॉपर्टी पशु	50.00	निःशुल्क

2. शहरी क्षेत्रों से तात्पर्य राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत पशुपालकों से है।

3. उक्त शुल्क से होने वाली प्राप्तियों राज्य के सुसंगत लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत जमा की जायेगी।